सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 07/2017 अपील (RCMS-00147/2017)
पंजीयन दिनांक — 04.09.2017
निर्णय दिनांक — 08.05.2018

1. श्री राजेन्द्र मंत्री पिता श्री इन्द्रलाल मंत्री, निवासी 3, धाबाई जी की बाड़ी, पुला, उदयपुर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर, उदयपुर

— रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—

1. श्रीमती वन्दना उदावत — वकील अपीलान्ट
2. श्री एन.एस.चुण्डावत — वकील रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 91—ए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 निर्णय न्यायालय तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर प्रकरण संख्या 144/2011 दिनांक 16.08.2013 सपठित आदेश दिनांक 20.02.2017

निर्णय

दिनांक 08.05.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 91—ए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 निर्णय न्यायालय तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर प्रकरण संख्या 144/2011 दिनांक 16.08.2013 सपठित आदेश दिनांक 20.02.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पुला के आराजी नम्बर 85 से 95 अनुमोदित प्लान के भूखण्ड संख्या 04 क्षैत्रफल लगभग 2000 वर्गफीट पर बिना न्यास स्वीकृति के जी+3 निर्माण करवाया जा रहा था, जिसे न्यास के पटवारी द्वारा मौके पर पंहुच रूकवाया गया एवं भविष्य में निर्माण नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया। उक्त नवीन निर्माण न्यास अधिनियम 1959 की धारा 91—ए के तहत अवैध होने

से इसे तीन दिवस की अवधि में स्वतः हटा लेने अन्यथा बाद मयाद गुजरने के कभी भी ध्वस्त किये जाने का आदेश दिनांक 16.08.2013 पारित किया गया। दिनांक 10.02.2017 को अपीलान्ट द्वारा प्रकरण संख्या 144/2011 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2013 को प्रतिसृहत करने हेतु तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त आदेश को पुनः रिकाल किये जाने के सम्बन्ध में न्यास अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं होने से तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 20.02.2017 से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र सारहीन एवं पश्चातवर्ती सोच पर आधारित होने से अपास्त किया गया। उक्त आदेशों से व्यथीत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से अभिलेख मंगवाया गया। वकील रेस्पोडेंट उपस्थित। वकील रेस्पोडेंट की एकतरफा बहस दिनांक 30.04.2018 को सूनी गई। दिनांक 30.04.2018 को वकील अपीलान्ट अनुपस्थित होने से एक सप्ताह में लिखित बहस प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस में बताया कि दिनांक 19.11.2011 को विवादित सम्पत्ति राजस्व ग्राम पुला के आराजी संख्या 85 से 95 के अनुमोदित प्लान के वादग्रस्त भुखण्ड संख्या 4 लगभग 2000 वर्गफीट पर बिना निर्माण स्वीकृति जी+3 निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण पंचनामें के आधार पर नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जो धारा 91–ए के तहत न्यायालय तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के समक्ष हुआ तथा इसमें एकतरफा कार्यवाही की जाकर दिनांक 16.08.2013 को आदेश सम्पत्ति को ध्वस्त करने एवं 3 दिवस में हटाये जाने बाबत पारित किया गया। इस आदेश को पारित करते समय इसकी तामिल होना आदेश में 25.04.2011 व 06.05.2011 को अंकित नहीं किया गया और अपीलार्थी की उपस्थिति बाद में अंकित करते हुए एकतरफा आदेश किया गया जबकि अपीलार्थी को इस प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी यह मूल विवादित आदेश है जिसके विरूद्ध यह अपील अन्य आदेश दिनांक 20.02.2017 के साथ की जा रही है। मूल आदेश की जानकारी न्यायालय क. ख. शहर उत्तर, उदयपुर में दिनांक 04.02.2017 को प्रकरण राजेन्द्र बनाम तहसीलदार नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की सुनवाई के दौरान नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के अधिवक्ता के कथन से हुई है। जानकारी होने पर निर्णय दिनांक 16.08.2013 को रि–कॉल किये जाने का आवेदन दिनांक 16.02.2017 को प्रस्तुत किया जिसे आदेश दिनांक 20.02.2017 से आपस्त किया गया। न्यास द्वारा मण्डल में प्रस्ताव पारित कर

प्रकरण प्रस्तुत करने का धारा 91–ए व 92–ए का अधिकार प्रदत्त नहीं किया मण्डल के अधिकारिता डेलीगेशन के अभाव में उक्त दोनों निर्णय स्वतः निरस्तनीय है। मूल प्रकरण में बिनाम तामिल गलत उपस्थिति दर्शायी गई है। प्रकरण में तथ्य साक्ष्य के मोहताज होने के उपरान्त भी अधिनस्थ द्वारा बिना किसी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य से तथा साबित कराये मात्र पंचनामा रिपोर्ट के आधार पर उक्त मूल निर्णय पारित करने में विधि व तथ्य की भूल की है जिसमें दोनों निर्णय निरस्त किया जाना आवश्यक है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि न्यास अधिनियम 1959 की धारा 91–ए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व ग्राम पुला के आराजी संख्या 85 से 95 अनुमोदित प्लान के भुखण्ड संख्या 4 क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्गफीट पर बिना न्यास स्वीकृति निर्माण के जी+3 के अतिक्रमण/अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश पारित किये गये है। दिनांक 10.02.2017 को अपीलान्ट द्वारा प्रकरण संख्या 144/2011 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2013 को प्रतिसृहत करने हेतु तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त आदेश को पुनः रिकाल किये जाने के सम्बन्ध में न्यास अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं होने से तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 20.02.2017 से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र सारहीन एवं पश्चातवर्ती सोच पर आधारित होने से अपास्त किया गया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाने के आदेश किये जाने बाबत अनुरोध किया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट द्वारा राजस्व ग्राम पुला के आराजी संख्या 85 से 95 अनुमोदित प्लान के भुखण्ड संख्या 4 क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्गफीट पर बिना न्यास स्वीकृति निर्माण के जी+3 के अतिक्रमण/अवैध निर्माण कर लिया है, उक्त निर्माण न्यास अधिनियम 1959 की धारा 91–ए के तहत अवैध होने से ध्वस्त/विध्वंस योग्य है। इस सम्बन्ध में पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट भी अपीलान्ट द्वारा किये गये अवैध निर्माण को स्पष्ट करती है। ऐसी स्थिति में न्यास अधिनियम 1959 की धारा 91–ए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अतिक्रमण/अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिनांक 16.08.2013 पारित किया। उक्त आदेश को पुनः रिकाल किये जाने के सम्बन्ध में न्यास अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं होने से तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 20.02.2017 से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र सारहीन एवं पश्चातवर्ती सोच पर आधारित होने से अपास्त किया गया। उपरोक्त विवेचन के

अनुसार तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2013 एवं 20.02.2017 में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। जिससे हम उक्त आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2013 एवं 20.02.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर